समुदाय द्वारा जल स्रोतों का प्रबंधन, मरूधरा में आज भी खरे हैं तालाब

समुदाय के नियम	स्रोत गांव
• टेंकर से पानी भरने पर पाबंदी, भरने पर दस हजार जुर्माना।	• नागौर जिले का डेह, चावली, डिडिया खुर्द, रोल शरीफ
• ऊंट या बैल गाड़ी की टंकी पानी ले जा सकते हैं। उनका पहिया पानी में नहीं डूबना चाहिए।	
• जिस गांव का स्रोत है, उस गांव के लोग टेंकर से पानी भर सकते हैं, अन्य गांवों लोगों पर प्रतिबंध। 10 हजर से 11 हजार तक का जुर्माना।	• नागौर जिले का ड़िडिया कला, गोठ, गुगरयाली, रूणिया, सोनेली, बाड़मेर जिले का इकडाणी, डाबड़ भाटियान, बागावास, चिलानाडी
• आगौर में शौच, पेशाब व गंदगी करना प्रतिबंधित, जुर्माना व गंदगी करने वाले से सफाई कराना दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं।	• नागौर जिले का ड़िडिया कला, गोठ, गुगरयाली, रूणिया, सोनेली, बाड़मेर जिले का इकडाणी, डाबड़ भाटियान, बागावास, चिलानाडी
• तालाब में नहाना, कपड़े धोना सख्त माना है। जुर्माने की व्यवस्था है।	
• आगौर की जमीन पर कब्जा करना, मिट्टी खोदना, पेड़–पौधे काटना, छंगाई करना मना है। आगौर, ओरण, गौचर में कोई कुल्हाडी लेकर नहीं जाएगा। अपने आप टूटकर गिरी लकड़ियां लाना मना है। गांव के बीच बुलाकर समझाते हैं। नहीं मानने पर कानूनी कायवाही करते हैं।	• नागौर जिले का ड़िडिया कला, गोठ, गुगरयाली, रूणिया, सोनेली, बाड़मेर जिले का इकडाणी, डाबड़ भाटियान, बागावास, चिलानाडी

समुदाय के नियम	स्रोत गांव
• देखभाल के लिए व्यक्ति रखते हैं। आगौर साफ रखता है, नियम तोड़ने वालों की जानकारी कमेटी या मुखियाओं को देता है। खाद, सूखी लकड़ी बेच कर या जन सहयोग से पैसा एकत्रित कर मजदूरी देते हैं।	• नागौर जिले का डिडिया कलां, डेह व डाबड़ भाटियान बाड़मेर
• तालाब में पानी कम पड़ने लगता है, ट्रेक्टर टेंकर पूरी तरह से बंद करते हैं, ऊंट, बैलगाड़ी टंकी, सिर घड़ा पानी ले जा सकते हैं। • पशु–पक्षियों के लिए पानी सुरक्षित रखते हैं।	• नागौर जिले के गांव डेह, रूणिया, सोनेली, बाड़मेर जिले का इकडाणी, डाबड़ भाटियान
• जल स्रोतों की देखभाल के लिए कमेटी बनी है, गांव के मुखिया लोग सदस्य हैं, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है, निर्णय आमसभा में होता है, कमेटी निगरानी करती है।	• नागौर जिले का ड़िडिया कला, डिडिया खुर्द, रामसर, चावली, गोठ, गुगरयाली, रूणिया, सोनेली, बाड़मेर जिले का इकडाणी व डाबड़ भाटियान , बागावास, चिलानाडी
• अमावश्या, पूर्णिमा, ग्याहरस आदि तिथियों, मानसून से पूर्व श्रमदान, जन सहयोग से राशि एकत्रित कर तालाब व आगौर की सफाई करते हैं।	• नागौर जिले का ड़िडिया कला, डिडिया खुर्द, रामसर, चावली, गोठ, गुगरयाली, रूणिया, सोनेली, छावटाखुर्द, बाड़मेर जिले का इकडाणी, डाबड़ भाटियान, बागावास, चिलानाडी, साजियाली पदमसिंह

समुदाय के नियम	स्रोत गांव
• नियम टूटते हुए कोई देखता है, गांव को बताता नहीं है और गांव को पता चल जाता है, तो उस व्यक्ति पर भी दंड लगाते हैं।	• नागौर जिले का डिडिया कलां
• अन्य गांवों में किसी परिवार में शादी, मृत्यु अथवा कोई सामाजिक समारोह है, तो ऐसे समय में टेंकर से पानी ले जाने की छूट है। कमेटी या गांव के मुखिया पहले कायकम होने का पता लगाते हैं।	• नागौर जिले का ड़िडिया कला, डिडिया खुर्द, रामसर, चावली, गोठ, गुगरयाली, रूणिया, सोनेली, छावटाखुर्द, बाड़मेर जिले का इकडाणी, डाबड़ भाटियान,
• गांव में शादी, मृत्यु व अन्य सामाजिक आयोजन में दूसरे गांवों से आने वाले लोगों को जल स्रोत में गंदगी नहीं करने का नियम बताने की जिम्मेदारी उस परिवार या आयोजकों की होती है। नियम तोड़ने पर परिवार या आयोजकों से जुर्माना लेते हैं।	• नागौर जिले का ड़िडिया कला, डिडिया खुर्द, रामसर, गोठ, गुगरयाली, सोनेली, छावटाखुर्द, बाड़मेर जिले का इकडाणी, डाबड़ भाटियान,
• टेंकर वाले नियम तोड़ते हैं और गांव की नहीं मानते तब पुलिस कायवाही करते हैं।	• नागौर जिले का रामसर, गुगरयाली
• तालाब के अंदर ऊंट या बैल गाड़ी को उतार कर टंकी भरना मना है। बाल्टी या डोल से बाहर भर सकते हैं।	• नागौर जिले का रामसर, रोल शरीफ
•पशुओं को मुख्य तालाब (चौभ) में ले जाकर पानी पिलाना मना है। बाल्टी, डोली से बाहर पानी लाकर पीला सकते हैं।	